

पत्रक: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,  
उन्नाव।

सेवा में

प्रबन्धक, पंचशिला इण्टरनेशनल स्कूल,  
सोहरामऊ, नवाबगंज, उन्नाव।

/नर्सरी-8/2018-19

दिनांक 28-05-2018

पत्रक सं० मान्यता/EM/ 3/23-76

विषय- आवेदित नर्सरी से कक्षा 08 तक की अंग्रेजी माध्यम की नवीन अस्थाई मान्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय में प्रस्तुत नर्सरी से कक्षा 08 तक की अंग्रेजी माध्यम की नवीन अस्थाई मान्यता हेतु आवेदन-पत्र के प्रति ज्ञासनादेश सं०-419/79-6-2013-18(20)/91 दिनांक 08.05.2013 द्वारा अंग्रेजी माध्यम के आसक्तिय विद्यालयों की मान्यता हेतु निर्धारित मानकों के प्रति ज्ञासनादेश दिनांक 08.05.2013 में अंग्रेजी माध्यम की मान्यता प्रदान करने हेतु मण्डल पर प्राक्कानित मंडलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 23.03.2018 एवं 07.04.2018 में लिये गये निर्णय के अनुसार पंचशिला इण्टरनेशनल स्कूल, सोहरामऊ, नवाबगंज, उन्नाव को नर्सरी से कक्षा-8 तक की अंग्रेजी माध्यम की नवीन अस्थाई मान्यता, निम्नलिखित प्रतिबन्धों का पालन अनिवार्य रूप से करने के आदेश के साथ प्रदान की जाती है। इन प्रतिबन्धों का उल्लंघन करने पर मान्यता प्रत्याहसित की जा सकती है।

- 01 विद्यालय किसी भी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह अथवा एसोसियेशन को लाभ पहुँचाने के लिये संचालित नहीं किया जायेगा।
- 02 इस अस्थाई मान्यता के प्रति किसी प्रकार का आसक्तिय अनुदान नहीं दिया जायेगा। विद्यालय अनुक्षण, स्टार्ट को वेतनादि हेतु विद्यालय स्वयंभूत पोषित होंगे।
- 03 विद्यालय संचालनकर्ता सोसाइटी का सोसाइटी रजि० एक्ट 1860 की धारा 21 के अन्तर्गत पंजीकृत एवं निर्धारित समय पर नवीनीकृत होना अनिवार्य होगा।
- 04 अग्निशमन यंत्र मानक के अनुसार स्थापित कराया जाना, अग्निशमन यंत्रों के संचालन का स्टार्ट को प्रशिक्षण कराया जाना तथा ज्वलन्शील/हानिकारक पदार्थों को बच्चों की पहुँच से दूर समुचित सुरक्षायुक्त कक्ष में रखने की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
- 05 नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 में प्राक्कानित सुरक्षा उपायों/मानकों को सुनिश्चित किया जायेगा तथा भू-तल वाले भवन के लिये अवर अभियन्ता तथा एक से अधिक तल वाले विद्यालय भवन के लिये सहायक अभियन्ता का भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 06 भारत के संविधान में प्राक्कानित राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय ध्वज व सर्वधर्म समभाव तथा मानवीय मूल्यों की सम्प्राप्ति के लिये प्राक्कानित समितियों तथा समय समय पर निर्गत आदेशों के आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- 07 विद्यालय भवन/परिसर को किसी भी दशा में व्यवसायिक एवं आवासीय उद्देश्यों के लिये दिन व रात में प्रयोग नहीं किया जायेगा। विद्यालय की सुरक्षा से संबंधित कार्यों के आवास हेतु छूट रहेगी। विद्यालय भवन परिसर या मैदान को किसी राजनीतिक या गैर शैक्षिक क्रियाकलापों के प्रयोग में नहीं लिया जायेगा। विद्यालय का बाह्य रंग सफेद होना चाहिये।
- 08 विद्यालय का निरीक्षण किसी सरकारी अधिकारी अथवा स्थानीय शिक्षा प्राधिकारी (खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं उनसे उच्च स्तर के शिक्षा विभाग के अधिकारी/जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी) द्वारा किया जा सकता है। बेसिक शिक्षा विभाग के जनपदीय/मंडलीय/राज्य स्तरीय अथवा अन्य किसी श्रेणी अधिकारी द्वारा विद्यालय से संबंधित सूचनाएँ एवं आख्या माँगे जाने पर निर्देशानुसार प्रस्तुत करना तथा निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
- 09 विद्यालय सोसाइटी का आस्थापकानुसार उपयुक्त निजी भवन होने अथवा कम से कम 10 वर्ग तक किराये/लीज पर (रजिस्टर्ड किरायानामा) होना अनिवार्य है। रजिस्टर्ड किरायानामा की उक्त अवधि समाप्त होने पर पुनः कम से कम 10 वर्ग की अवधि के लिये किरायानामा रजिस्टर्ड कराया जाना अनिवार्य होगा।
- 10 प्रत्येक कक्षा में प्रति छात्र 09 वर्गफीट की दर से स्थान उपलब्ध होना/कक्षाकक्ष का क्षेत्रफल 100 वर्गफीट (कम से कम 20 बच्चों के बैठने की व्यवस्था) होना अनिवार्य है। न्यूनतम मानक क्षेत्रफल एवं छात्र संख्या का अनुपालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।
- 11 शिक्षण कक्षाओं के अतिरिक्त, प्रधान अध्यापक कक्ष, कार्यालय, स्टार्ट कक्ष, पुस्तकालय/वाचनालय, छात्र-छात्राओं एवं अध्यापक-अध्यापिकाओं के लिये पृथक-पृथक शौचालय-पूजालय की व्यवस्था, पीने हेतु जीवाणु रहित स्वच्छ पेयजल की समुचित व्यवस्था होना अनिवार्य है।
- 12 कक्षा स्तर के अनुरूप छात्रोपयोगी विभिन्न क्रियाओं की पुस्तकें, खेलकूद का सामान, मानचित्र, शैक्षिक चार्ट की उपलब्धता अनिवार्य है।
- 13 विद्यालय में संचालित प्रत्येक कक्षा के लिये उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित एवं प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर प्रख्यापित निर्देशों के अनुरूप शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हतायुक्त विज्ञान/गणित/भाषा/कार्यानुभव शिक्षक-शिक्षिकाओं की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
- 14 नर्सरी से कक्षा-8 के अतिरिक्त अन्य अगम्य कक्षाओं संचालित नहीं की जायेंगी। सभी वर्ग, धर्म, जाति के बच्चों को प्रवेश लिया जाना अनिवार्य होगा।
- 15 शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी रखा जायेगा। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित पाठ्य पुस्तकें ही पाठ्यक्रम में चलाई जायेंगी। अगम्य पुस्तकों का प्रयोग किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
- 16 जि०बे०शिक्षाधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना संस्था द्वारा कोई कक्षा अथवा अनुभाग न खोला जायेगा, न ही बन्द किया जायेगा, न समाप्त किया जायेगा, न ही स्थानान्तरित किया जायेगा। इस मान्यता आदेश के आधार पर शिखा विद्यालय संचालित करना ज्ञासनादेश का उल्लंघन माना जायेगा।
- 17 विद्यालय प्रबन्ध समिति को निम्नलिखित और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के क्रम में उ०प्र० नियुक्त और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 में प्राक्कानित प्रतिबन्धों का पालन करना अनिवार्य होगा।



भारतीय

(बी०के०जी०)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,  
उन्नाव।

पू०स० मान्यता /

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आस्थापक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 01- सचिव, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
- 02- मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) षड मण्डल, लखनऊ।
- 03- खण्ड शिक्षा अधिकारी, नवाबगंज, उन्नाव।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,  
उन्नाव।